



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 16, 1929 शके सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2536-79-वि-1-07-1(क)44-2007

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पर दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गोमती नगर के विपिन खण्ड स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के संरक्षण, विकास, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए एक प्रबन्धन परिषद की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 16 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिषद" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्रबन्धन परिषद से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन प्रबन्धन परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;

(ग) "विकास" में वैयाकरणिक विभेद के साथ स्थल की भूमि में, पर, के ऊपर अथवा के नीचे, भवन निर्माण, अभियन्त्रण, खनन अथवा अन्य प्रक्रियाएँ करना अथवा स्थल के किसी भवन अथवा भूमि में किसी प्रकार का सारभूत परिवर्तन करना है;

(घ) "अनुरक्षण" में वैयाकरणिक विभेद और समान अभिव्यंजना के साथ स्थल की चहारदिवारी बनाना, आच्छादन करना, मरम्मत करना, पुनरुद्धार करना और स्वच्छता रखना और स्थल को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी अन्य कार्य करना सम्मिलित है;

(ङ) "संरक्षण" में वैयाकरणिक विभेद और समान अभिव्यंजना के साथ स्थल की रक्षा, संरक्षण, सुरक्षा, अनुरक्षण तथा उच्चीकरण करने से है;

(च) "सुरक्षा" का तात्पर्य स्थल और कलाकृतियों को भावी पतन, विखपता, उपेक्षा या क्षति से रक्षा करने से है;

(छ) "स्थल" का तात्पर्य डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से है, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज-व्यवस्था स्थल और इनसे सम्बन्धित अन्य संरचनाएँ सम्मिलित हैं, जिसकी चार मार्ग युक्त सीमा अर्थात् स्थल की दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित 15 एकड़ भूमि को छोड़कर, उत्तर में होटल ताज और स्थल के मध्य का मार्ग, पूर्व में गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड और स्थल के मध्य का मार्ग, दक्षिण में सहारा सिटी और स्थल के मध्य का मार्ग तथा पश्चिम में गोमती नदी बंधा तथा स्थल के मध्य का मार्ग है।

स्थल का निगमन

3-(1) धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समस्त सदस्यों को समावेशित करते हुए डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से एक निगमित संस्था होगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट समस्त सम्पत्तियाँ, परिसम्पत्तियों और देयता सहित, स्थल में निहित होंगी।

परिषद का गठन

4-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, स्थल के कार्यों के प्रबन्धन हेतु एक परिषद की स्थापना करेगी।

(2) परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पदेन-	अध्यक्ष
(ख) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन -	उपाध्यक्ष
(ग) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई प्रमुख सचिव, पदेन -	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य

- (छ) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,  
पदेन - सदस्य
- (ज) प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, पदेन - सदस्य
- (झ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,  
पदेन - सदस्य
- (ट) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन - सदस्य
- (ठ) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन - सदस्य
- (ड) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, पदेन- सदस्य
- (ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य-सचिव

5-“स्थल” के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

स्थल के उद्देश्य

(क) समाज के शोषित, दलित, निर्वल वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के जनमानस में सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक जागरूकता पैदा करने और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था के प्रतीक के रूप में सहायक होना;

(ख) भारत में गैरबराबरी-आधारित समाज व्यवस्था में आवश्यक सामाजिक परिवर्तन करके समतामूलक-समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महानायकों-महात्मा गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु घासीदास, महात्मा बिरसा मुण्डा, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्षत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, डा० भीमराव अम्बेडकर, मा० काशीराम जी इत्यादि के कार्यों, उनकी चेतना व जीवन संघर्ष से सम्बन्धित सामग्री, शोध पत्र इत्यादि का संकलन एवं संग्रह करना;

(ग) सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य असमानताओं के निवारण पर उपयोगी संवाद के लिए मंच के रूप में कार्य करना और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को उन्नत करना।

6-इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे,-

परिषद के अधिकार और कृत्य

(क) निर्वहनीय आधार पर स्थल का संरक्षण, विकास, सुरक्षा एवं अनुरक्षण करना तथा कार्यों का प्रबन्धन इस रीति से करना जिससे स्थल के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके;

(ख) स्थल निधियों का प्रबन्धन करना;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों का निष्पादन;

(घ) कोई अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

7-परिषद, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश से, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन जैसा कि उचित समझे, परिषद के किसी अन्य सदस्य को कर सकती है।

अधिकारों का प्रतिनिधायन

मुख्य कार्यपालक  
अधिकारी

8-(1) परिषद द्वारा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा और स्थल के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए और इस अधिनियम के अन्तर्गत कृत्यों के संपादन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे नियत किये जायें।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा सम्बन्धी शर्तें वही होंगी, जैसी नियत की जायें।

स्थल के अन्य  
अधिकारी और  
कर्मचारी

9-(1) स्थल के प्रभावी प्रबन्धन तथा इस अधिनियम और उसके अधीन नियमों में व्यवस्थित अन्य कृत्य और कर्तव्य के निर्वहन हेतु परिषद, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) स्थल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(3) स्थल के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का संपादन दायित्वों का निर्वहन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया जाएगा।

स्थल की निधि

10-(1) अनुरक्षण निधि :-

स्थल की एक "अनुरक्षण निधि" होगी। राज्य सरकार, विधान मण्डल, इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् अनुदान के रूप में 'अनुरक्षण निधि' में ऐसी धनराशि प्रदान करेगी जैसी राज्य सरकार उचित समझे। ऐसी धनराशि 'अनुरक्षण निधि' होगी और उसे किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाते में जमा किया जायेगा। 'अनुरक्षण निधि' का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा और उससे प्रोद्भूत आय मात्र का ही उपयोग स्थल के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये किया जायेगा।

(2) विकास निधि :-

स्थल की एक 'विकास निधि' भी होगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :-

(क) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान;

(ख) स्थल द्वारा प्राप्त किये गये स्वैच्छिक अंशदान;

(ग) स्थल द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किये गये समस्त चल एवं अचल दान, उपहार और अन्य धनराशि;

ऐसी धनराशि, "विकास निधि" कहलाएगी और अनुसूचित बैंक में एक अलग खाते में जमा की जाएगी तथा इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अंशदान का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए धनराशि का अंशदान किया गया था, से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

कतिपय भवनों के  
निर्माण पर प्रतिबन्ध

11-ऐसे किसी भवन का निर्माण स्थल की सीमा से 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जायेगा जिसकी ऊँचाई डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक के गुम्बद की ऊँचाई की आधी से अधिक हो।

12-(क) (1) जो भी व्यक्ति -

शास्त्रि

स्थल को नष्ट करे, उसे हटाए, क्षतिग्रस्त करे, परिवर्तित करे, विखण्डित करे, जोखिम में डाले, प्रदूषित करे, अतिचार करे या दुरुपयोग करे; या

(ख) स्थल से किसी शिल्प, नक्कासी, मूर्ति, उच्चित्र, शिलालेख, पाण्डुलिपि या समनुरूप चीजों को हटाये; या

(ग) धारा 11 के उल्लंघन में कोई कार्य करे;

वह कारावास, जो छः मास तक हो सकता है, या ऐसे अर्धदण्ड जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

13-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं :-

(क) स्थल का संरक्षण, विकास, सुरक्षा, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन;

(ख) स्थल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और कर्तव्य एवं शक्तियाँ;

(ग) स्थल के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश का विनियमन;

(घ) स्थल में जनता के पहुँच का अधिकार और तद्विहित प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो;

(ङ) विकास निधि और अनुरक्षण निधि से प्रोद्भूत धनराशि के उपयोग का विनियमन;

(च) परिषद की बैठकों के समय एवं स्थान, परिषद की बैठकों के कार्य संचालन की रीति और बैठक का कोरम;

(छ) परिषद की अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य;

(ज) ऐसे अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असम्बद्ध न हो तथा जो विहित किये जाने हेतु आवश्यक समझे जायें।

14-परिषद के पूर्व अनुमोदन के सिवाय स्थल का प्रयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

स्थल के प्रयोग का निषेध

15-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

16-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी समुचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगा और तुलनपत्र सहित वार्षिक बजट ऐसे प्रपत्रों में तैयार करेगा जैसे विहित किये जायें।

लेखा एवं लेखा परीक्षा

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसे परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) परिषद के लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जैसा विहित किया जाय।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद के लेखे को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने  
की शक्ति

17-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई के निवारण के प्रयोजनार्थ निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध, यथाविहित अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या :  
द्वारा ऐसे अंगीकरण के अध्वधीन प्रभावी होंगे जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर इस आधार पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी कि उस उपधारा में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

निरसन और अपवाद

18-(1) उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या  
23 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

यह विनिश्चय किया गया कि डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जिसके अन्तर्गत विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज व्यवस्था स्थल और उससे अनुलग्न अन्य संरचना के संरक्षण, विकास, सुरक्षा और अनुरक्षण के लिये प्रबंधन परिषद की स्थापना की व्यवस्था और उससे जुड़े हुए और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधि की रचना की जाए।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी इसलिये राज्यपाल ने 7 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2007) प्रख्यापित किया।

उपर्युक्त अध्यादेश, 2007 को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,  
प्रमुख सचिव।

No. 2536/79-V-1-07-1(Ka) 44-2007  
Dated Lucknow, December 7, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 43 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 6, 2007.

THE UTTAR PRADESH DR. BHIM RAO AMBEDKAR SAMAJIK  
PARIVARTAN STHAL ACT, 2007

[U.P. ACT No. 43 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment of the Board of Management for the preservation, development, protection and maintenance of Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal, situated at Vipin Khand of Gomti Nagar, Lucknow in Uttar Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007.

Short title and  
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 2007.

2. In this Act, unless the context otherwise requires-

Definitions

(a) "Board" means the Board of Management constituted under section 4;

(b) "Chief Executive Officer" means an officer appointed by the Board of Management under section 8;

(c) "development", with its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, on, over or under land, or the making of any material change in any building or land, of the Sthal;

(d) "maintenance", with its grammatical variations and cognate expressions, means the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of the Sthal, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving the Sthal;

(e) "preservation", with its grammatical variations and cognate expressions, means the protecting, conserving, safeguarding, maintaining and upkeeping of the Sthal;

(f) "protection" mean safeguarding the Sthal and works of art from future deterioration, deface, neglect or damage;

(g) "Sthal" means Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal including Dr. Bhim Rao Ambedkar Smarak, Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sangrahalaya, Samtamulak Samaj Vyavastha Sthal and other structures appurtenant thereto, bound by the four roads namely the road between the Hotel Taj and the Sthal on the North side, the road between Vipul Khand of Gomti Nagar Scheme and the Sthal on the East side, the road between the Sahara City and the Sthal on the South side and the road between the Gomti River bandha and the Sthal on the West side, excluding the area measuring fifteen acres of land situated at the South-East corner of the Sthal.

Incorporation of  
the Sthal

3. (1) The Chairman, Vice-Chairman and all the members of the <sup>Board as</sup> enumerated in sub-section (2) of section 4 shall constitute a body corporate by the <sup>name</sup> of Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal.

(2) All the properties, referred to in clause (g) or section 2 along with <sup>assets</sup> and liabilities shall vest in the Sthal.

Constitution of the  
Board

4. (1) The State Government shall, by notification, in the <sup>establish a</sup> Gazette <sup>estab-</sup> Board for the management of the affairs of the Sthal.

(2) The Board shall consist of :

- |        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| (i)    | the Chief Minister of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;   | Chairman         |
| (ii)   | the Minister for Housing & Urban Planning, Government of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;                                  | Vice-Chairman    |
| (iii)  | the Chief Secretary to the State Government, or any Principal Secretary nominated by him, <i>ex-officio</i> ;                | Member           |
| (iv)   | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Law, <i>ex-officio</i> ;                                | Member           |
| (v)    | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Finance, <i>ex-officio</i> ;                            | Member           |
| (vi)   | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Urban Development, <i>ex-officio</i> ;                  | Member           |
| (vii)  | the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Department of Housing & Urban Planning, <i>ex-officio</i> ; | Member           |
| (viii) | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Public Works, <i>ex-officio</i> ;                       | Member           |
| (ix)   | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Tourism, <i>ex-officio</i> ;                            | Member           |
| (x)    | the Principal Secretary to the State Government in the Department of Energy, <i>ex-officio</i> ;                             | Member           |
| (xi)   | the Commissioner, Lucknow Division, Lucknow, <i>ex-officio</i> ;   | Member           |
| (xii)  | Chief Executive Officer;   | Member-Secretary |

Objects of the Sthal

5. The objects of the Sthal shall be :-

(a) to serve as a symbol inspiring social, educational and political awareness and the establishment of an equality based social structure amongst the suppressed, weaker and oppressed segments of the society, especially among the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the other backward classes;

(b) to collect and preserve the works, thoughts, materials used, research papers, etc. related with the life struggle of the eminent protagonists of social change, like, Mahatma Gautam Buddha, Sant Kabir Das, Sant Ravi Das, Guri Ghasi Das, Mahatma Birsa Munda, Mahatma Jyotiba Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj, Narayana Guru, Dr. Bhim Rao Ambedkar, Manyawar Kanshiramji etc. who devoted their lives for bringing about a social change from the inequality based social structure to the equality-based social structure in India;



(c) to provide a forum for useful dialogue on elimination of social, economic, religious and other inequalities and to promote establishment of an equality based social structure, as well as national integration.

6. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the powers and functions of the Board shall be,— Powers and functions of the Board

(a) to preserve, develop, protect and maintain the Sthal on a sustainable basis and to manage its affairs in such a way so as to achieve the objects of the Sthal;

(b) to manage the funds of the Sthal;

(c) to execute the provisions of this Ordinance or rules made thereunder;

(d) any other functions as may be prescribed.

7. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Board may by general or special order delegate to any member of the Board, such of its powers and functions under this Act, as it may deem necessary. Delegation of powers

8. (1) There shall be a Chief Executive Officer appointed by the Board, who shall be the principal administrative officer of the Sthal and shall be responsible for the furtherance of the objectives of the Sthal, execution of the decisions of the Board and performance of the function provided in this Act. The other powers, functions and duties of the Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed. Chief Executive Officer

(2) The conditions of the service of the Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed.

9. (1) The Board may appoint such other officers and employees, as it considers necessary for the efficient management of the Sthal and performance of other functions and duties provided in this Act and the rules made thereunder. Other officers and employees of the Sthal

(2) The conditions of service of the officers and the employees of the Sthal shall be such as may be prescribed.

(3) The other officers and employees of the Sthal shall perform their functions and discharge their duties under the administrative control of the Chief Executive Officer.

10. (1) Maintenance Fund :

Funds of the Sthal

There shall be a "Maintenance Fund" of the Sthal. The State Government, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, shall pay to the "Maintenance Fund" by way of grant, such sum of money as the State Government may think fit. Such sum of money shall be called the "Maintenance Fund" and shall be deposited in a separate account in a Scheduled Bank. The "Maintenance Fund" shall not be utilized for any other purpose and only the income accrued therefrom shall be utilized for the maintenance and upkeep of the Sthal.

(2) Development Fund :

The Sthal shall also establish a "Development Fund" to which the following moneys shall be credited:—

(a) grants made by the Government of India and the State Governments;

(b) voluntary contributions received by the Sthal;

(c) all donations moveable or immoveable, gifts, and other moneys received by the Sthal in any other manner or from any other source. Such sum of money shall be called the "Development Fund" and shall be deposited in a separate account in a Scheduled Bank and no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed.

Restrictions on construction of certain buildings

Smarak dome.

11. No building shall be constructed within a distance of 50 mts the<sup>boundary</sup> of the Sthal, which exceeds half the height of the Dr. Bhim Rao Ambedkar

Penalties

12. Whoever--

(a) destroys, removes, injures, alters defaces, imperils,<sup>pollutes</sup> trespasses or misuses the Sthal; or

(b) removes from the Sthal any sculpture, carving, image, bas-relief inscription, manuscript, or other like object; or

(c) does any act in contravention of section 11;

shall be punishable with imprisonment which may extend to six<sup>months or</sup> with fine, which may extend up to ten thousand rupees, or with both.

Power to make rules

makes rules for carrying out the purposes of this Act.

13. (1) The State Government may, by notification in the Gazette, <sup>foregoing</sup>

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the<sup>foregoing</sup> provisions, such rules may provide for —

(a) preservation, development, protection, maintenance and <sup>management</sup> of the Sthal;

(b) manner of appointment and duties and powers of the Chief <sup>Executive Officer</sup> and other employees;

(c) regulating and admission of persons in the premises of the Sthal;

(d) the right of access of the public to the Sthal and the fee if any, to <sup>be</sup> charged therefor;

(e) regulating the utilization of the Development Fund and the <sup>Stam</sup> accrued on the Maintenance Fund;

(f) the time and place for the meetings of the Board, the manner of conduct of business of the meetings of the Board and the quorum of the meeting;

(g) other powers and functions of the Board;

(h) such other matters, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be considered necessary to be prescribed.

Prohibition of the use of Sthal

14. The Sthal, shall not except with the previous sanction of the Board, be used for any purpose other than the purpose for which it was created.

Overriding effect of this Act

15. The provisions of this Act shall have the overriding effect, notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force.

Accounts and Audit

16. (1) The Chief Executive Officer shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare and annual budget including the balance sheet in such form as may be prescribed.

(2) The Chief Executive Officer shall prepare an annual statement of accounts and present before the Board for approval.

(3) The accounts of the Sthal shall be subject to the audit annually by such Auditor as may be prescribed.

(4) The Accounts of the Sthal, as certified by the Auditor together with audit report thereon, shall be forwarded to the State Government annually.

17. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be prescribed, have effect subject to such adoption, by way of modifications, additions or omission as it may be necessary or expedient :

Power to remove difficulty

Provided that no such order shall be made after two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1), shall be laid before both houses of the State Legislature as soon as may possible after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court of law on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

U.P. Ordinance  
no. 23 of 2007

18. (1) The Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Ordinance, 2007 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It was decided to make a law to provide for the establishment of the Board of Management for the preservation, development, protection and maintenance of Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal including Dr. Bhim Rao Ambedkar Smarak, Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sangrahalaya, Samtamulak Samaj Vyavastha Sthal and other structures appurtenant thereto situated at Vipin Khand of Gomti Nagar, Lucknow in Uttar Pradesh and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislature action was necessary the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 23 of 2007) was promulgated by the Governor on August 7, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance, 2007.

By order,  
S.M.A. ABIDI,  
Pramukh Sachiv..

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 764 राजपत्र (हि०)-2007-(1855)-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 384 सा० विधायी-2007-(1856)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।